दिनांक 20.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 20/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त सहित 03 गिरफ्तार**
- **06 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **चोरी करने के उपकरण डिल मशीन, ग्रेन्डर मय ब्लेट**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.07.2022 को थाना सैदपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देहराकला रेलवे क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आलम शेख घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–ताहिर शेख 3–रहमान शेख सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 लाख 10 हजार रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 04 खोखा कारतूस, चोरी करने के उपकरण डिल मशीन, ग्रेन्डर मय ब्लेट, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आलम शेख के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के थाना सैदपुर, महाराष्ट्र प्रान्त, झारखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। थाना सैदपुर क्षेत्रान्र्तगत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये चोरी की उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— आलम शेख निवासी ग्राम उत्तर पियारपुर थाना राधानगर जनपद साहेबगंज, झारखण्ड।

2—ताहिर शेख निवासी ग्राम बैष्णो नगर थाना मोथा बाड़ी जनपद माल्दा, पश्चिम बंगाल।

3—रहमान शेख निवासी ग्राम बैष्णो नगर थाना मोथा बाड़ी जनपद माल्दा, पश्चिम बंगाल।

बरामदगी

1—06 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2—01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

3—चोरी करने के उपकरण डिल मशीन, ग्रेन्डर मय ब्लेट।

3— 01 मोटर साइकिल।

जनपद सम्भल/थाना चन्दौसी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने व चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 12 लाख 93 हजार रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन**
- **04 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 20.07.2022 को थाना चन्दौसी पुलिस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुरादाबाद हाइवे के किनारे फ्लाई ओवर से पहले खाली स्थित प्लाट से 02 अभियुक्तों 1—गुड्डू 2—सूरज को गिरफ्तार किया गया तथा 03 बालपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने व चॉदी के आभूषण, 12 लाख 93 हजार रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 04 मोटर साइकिल आदि बरामद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। दिनॉकः 07.05.2022 को थाना चन्दौसी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुड्डू निवासी राजा का मझौला थाना बहजोई जनपद सम्भल।

2—सूरज निवासी रेसो थाना बालामऊ कछोना जनपद हरदोई।

3—03 बालपचारी।

बरामदगी

1—चोरी के सोने व चॉदी के आभूषण।

2—चोरी के 12 लाख 93 हजार रूपये नगद।

3—05 मोबाइल फोन।

4—04 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना कंकरखेड़ा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 53 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.07.2022 को थाना कंकरखेड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोहटा फ्लाई ओवर रेलवे लाइन के पास चेकिंग के दौरान 04

शातिर अभियुक्तों 1—आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर 2—शकील 3—अहसान 4—शाहरूख को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण, चोरी के 53 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.06.2022 को थाना कंकरखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कंकरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया लूट/चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त शकील के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग, अभियुक्त अहसान के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त शाहरूख के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कंकरखेड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर निवासी कस्बा शेरकोट चुंगी नं0—05 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर, हालपता मदीना कालोनी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

2—शकील निवासी समरगार्डन कालोनी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

3—अहसान निवासी अशोक बिहार तीस फिटा रोड थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

4—शाहरूख निवासी प्रहलाद नगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट/चोरी के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 53 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

4–02 मोटर साइकिल।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना मसौली</u>

- **20 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.07.2022 को थाना मसौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1–नूरूल हसन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना थाना मसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–357/2019 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मसौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नूरूल हसन निवासी साबिर मोहल्ला बड़ागॉव थाना मसौली जनपद बाराबंकी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना मछरेहटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–2 सीतापुर द्वारा थाना मछरेहटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बचान 2–विनीता को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05–05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 46 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त अर्जुन निवासी मकदूमपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 46 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार, 1,00 कि0ग्रा0 स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये) बरामद।</u>

दिनांक 20-07-2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.00 कि0ग्रा0 स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

1- कुंवर सेन पुत्र नन्हेलाल नि0 गांगुपुर, थाना-बीसलपुर, पीलीभीत।

<u>कुल बरामदगीः-</u>

1- 1.00 कि0ग्रा0 स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 01 करोड़)
2- 01 अदद मोबाइल
3- रू0 1,310/-नगद।
4- 02 अदद आधार कार्ड।
5- 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार यू0पी0 25 एजे 5170

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

समसपुर मोड, थाना क्षेत्र कछौना, जनपद हरदोई दिनांक 20–07–2022 समय लगभग 07.50 बजे प्रातः।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत के राज्यों से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। जिसके सम्बन्ध मे अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 की एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर अन्य राज्यों से मादक पदार्थो की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लाकर बेचा जा रहा है। इसी क्रम में आरक्षी कौशलेन्द्र सिंह द्वारा विश्वसनीय स्रोतों से सूचना प्राप्त की गयी, कि अवैध मादक पदार्थ के तस्करों द्वारा बरेली निवासी आसिफ से अवैध मादक (स्मैक) लाकर जनपद लखनऊ में सुनील कुमार को दिया जाना है।

इस सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक श्री दिलीप तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 मु0आ0 अंजनी यादव, संतोष सिंह, कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, अशोक कुमार राजपूत के नेतृत्व में एक टीम जनपद हरदोई रवाना की गयी। एसटीएफ टीम द्वारा हरदोई पहुंचकर जमीनी स्तर पर अभिसूचना संकलन किया गया, जिस पर ज्ञात हुआ कि कुंवर सेन नाम का एक तस्कर स्विफ्ट डिजायर कार नं0 यूपी 25 एजे 5170 में स्मैक लेकर बरेली से हरदोई होते हुए लखनऊ जायेगा। इस पर एसटीएफ टीम समसपुर मोड, थाना क्षेत्र कछौना, जनपद हरदोई के पास उक्त कार को कब्जे में लेकर देखा गया तो उसमें स्मैक छिपाकर रखा गया था। जिस पर उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों का अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने का एक गिरोह है। जो बरेली निवासी आसिफ से स्मैक लेकर लखनऊ निवासी सुनील कुमार को बेचते है। जो लखनऊ व आस–पास के जनपदों में फुटकर में इसकी सप्लाई करता है। आसिफ द्वारा मुझे एक चक्कर का रू0 5,000/– दिया जाता है। अब तक मैं करोड़ों की स्मैक की सप्लाई कर चुका हूँ।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध द्वारा थाना कछौना, जनपद–हरदोई में मु0अ0सं0 317/2022 धारा 8/21/23ग एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ–कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश के विभिन्न सेन्टरों पर आयोजित मल्टीटॉस्किंग सर्विस परीक्षा में फर्जी तरीके से सम्मलित होने वाले साल्वर गैंग के सरगना सहित 06 सदस्यों को एस0टी0एफ उ0प्र0 द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनॉक 19–07–2022 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश के विभिन्न सेन्टरों पर आयोजित मल्टीटॉस्किंग सर्विस परीक्षा में फर्जी तरीके से परीक्षा में सम्मलित होने वाले अन्तर्राज्जीय साल्वर गैंग के सरगना सहित 06 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– आरपी कुमार पुत्र सुरेश पासवान, निवासी ग्राम परिऔना, थाना नूरसराय, जिला नालन्दा, बिहार।

2– सुमन कुमार पुत्र सुधीर कुमार, निवासी मोहनपुर, थाना नालन्दा, जिला नालन्दा।

3– सतीश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी जलालपुर, थाना हरनौथ, जिला नालन्दा।

4— अमरजीत कुमार पुत्र संजीत कुमार, निवासी धम्मौल, थाना राजौली, जिला नवादा, (बिहार)

5— इन्द्रजीत कुमार सिन्हा पुत्र वेदानन्द सिन्हा निवासी नानंद थाना सिलाव जिला नालन्दा।

6— अमरेन्द्र कुमार पुत्र बृजनन्दन प्रसाद निवासी बाराखुर्द थाना नूरसराय जिला नालंदा।

बरामदगी–

1— 04 अदद कूटरचित आधार कार्ड।

2— 02 अदद कूटरचित पैन कार्ड।

3— 01 अदद कूटरचित निर्वाचन कार्ड।

4— 03 अदद एटीएम कार्ड।

5— 07 अदद मोबाइल फोन।

6— 02 अदद कूटरचित एडमिट कार्ड।

7— 3,660 रूपये नगद ।

गिरफ्तारी का समय व स्थानः–

अंजिप टेक्नोलॉजी, एलएलपी, प्लाट नम्बर—एलपीआर—9, स्कीम नं0—1, केशवपुरम् सेक्टर एल निकट कात्यान स्कूल कानपुर नगर के ऑन लाइन परीक्षा केन्द से कुछ दूरी पर दिनॉकः 19—07—2022, समय 21:00 बजे

उ0प्र0 में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु परीक्षा नियामक एजेन्सी द्वारा एसटीएफ उ0प्र0 से परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली एवं अनियमितता की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, कानपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

दिनॉकः 19—07—2022 को निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह व निरीक्षक श्री लान सिंह एवं आरक्षी देवेश द्विवेदी द्वारा सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, इसी क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग सर्विस की परीक्षा कानपुर में विभिन्न ऑन लाइन सेन्टरों पर आयोजित है, जिसमें नालन्दा बिहार के साल्वर गैंग द्वारा उक्त परीक्षा में वास्तिविक अभ्यर्थी के स्थान पर साल्वर बैठाकर परीक्षा में कूटरचित दस्तावेजों के माध्यमों से धोखाधड़ी कर प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें दो अभ्यर्थी आज दिनॉकः 19—07—2022 को अंजिप टेक्नोलॉजी, एलएलपी, प्लाट नम्बर—एलपीआर—9, स्कीम नं0— 1, केशवपुरम् सेक्टर एल निकट कात्यान स्कूल कानपुर नगर के ऑन लाइन परीक्षा केन्द्र पर अलग—अलग समय पर अपनी परीक्षा को देने के लिये साल्वर को साथ लेकर आयेगें, जिनके पास कूटरचित दस्तावेज व एडमिट कार्ड मिलने की पूर्ण संभावना है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर अंजिप टेक्नोलॉजी ऑन लाइन परीक्षा केन्द से 20 मीटर पीछे साल्वर गैंग के सरगना समेत 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

उपरोक्त सभी लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि बिहार निवासी अविनाश कुमार शर्मा एवं पुरूषोत्तम द्वारा हम सभी लोगों को एक दूसरे से मिलाया गया था। परीक्षा देने के लिए प्रति व्यक्ति एक लाख रूपये की बात तय थी। जिसमें अभ्यर्थी के स्थान पर बैठने वाले साल्वर को पच्चीस हजार रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा दिया जाता है। सतीश, अविनाश के कहने पर साल्वरों को सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र पर लेकर जाता था, जिसके लिये इसको भी पच्चीस हजार रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा मिलता है। पूछताछ में अमरेन्द्र ने बताया कि इससे पूर्व भी वह पुरूषोत्तम के कहने पर सात पर अन्य व्यक्तियों की परीक्षा दे चुका है। पुरूषोत्तम द्वारा अभ्यथियों एवं साल्वरों की फोटो प्राप्त कर कूटरचित तरीके से आधार कार्ड/पैनकार्ड/एडमिट कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराये जाते थे।

पकड़े गये अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रावतपुर, कमिश्नरेट कानपुर नगर पर मु0अ0सं0– 37/2022 धारा 419/420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

———————